

न्यायालय तहसीलदार बीकानेर

मिसल नं०-12/19


निर्णय दिनांक:-

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मिल्लत 50517 ने रिपोर्ट (पी 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि संवत् 2076 में गैर सायल पत्तु 217 पुत्र श्री 31/2/217 जाति भसवाल निवासी ग्राम रुखना ने ग्राम रुखना के खसरा नं० 250, 354/250 के तादादी 2.13 क्षेत्रफल राजस्थान में नाजायज राजस्थान गैर मुमकिन राजकीय ओरण/जोहड पायतान/ गोचर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है। संबंधित गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर गैर सायल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। जिससे साबित होता है कि अतिक्रमी ने जान-बूझकर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है।

गैर सायल श्री पत्तु 217 जाति श्री 31/2/217 निवासी रुखना द्वारा ग्राम रुखना के खसरा नं० 250, 354 तादादी 2.13 भूमि में अतिचार करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधि० 1956 की धारा-91 के प्रावधानों के अनुसार श्री पत्तु 217 पुत्र श्री 31/2/217 को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं भू-राजस्व 3000 रु० का 50 गुणा कुल दर 155 रु० का तावान से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखल कर खडी फसल को कुर्क कर फसल नीलामी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त रुखना तथा पटवारी प०ह० के लख को आदेश दिये जाते हैं। अतिक्रमी को राजस्थान भूमि से बेदखल करने तथा के लख बहक सरकार लेने हेतु निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत पटवारी हल्का एवं मांग कायमी के लिये टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25-10-19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम की जावे।


तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर